

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

08/01/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल सचिव पेशी हो गई गत
आदेश की पालना में दिनांक...24/02/25
को पेश हो।

हस्ताक्षर/सिद्धर

24/02/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल सचिव पेशी हो गई गत
आदेश की पालना में दिनांक...22/4/25
को पेश हो।

हस्ताक्षर/सिद्धर

22/04/25 पत्रावली पेश हुई। सार्थी पैरोकार सरकार उपर।
हमने पैरोकार सरकार बहस पुनी। बहस पर मनन
किया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं
संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार
बांदीकुई ने प्रस्ताव में राजस्व शम की रकम पुरा स्थित
-चारागाह भूमि में से मौके पर गलू रास्ते को राजस्व
रिकॉर्ड में जै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निर्देश किया है।
प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में -चारागाह
दर्ज है। -चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में
आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को
राजस्व रिकॉर्ड में जै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना इच्छित
प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा
प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव -चारागाह प्रतिबंधित भूमि की भूमि
का होने के कारण खारिज किया जाता है। किन्तु निर्णय
पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली पेश करने के बाद तहसीलदार बांदीकुई दफ्तर में

सुप. बण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दोसा)

प्रकरण संख्या :- 113 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक :- 12.06.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक :- 22.04.2025

उनवान- राज. सरकार बनाम ग्राम पंचायत कीरतपुरा

राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांक :- 22.04.2025

तहसीलदार बाँदीकुई ने पत्र क्रमांक: राजस्व/रास्ता प्रकरण/2024/797 दिनांक: 10.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि खसरा नं. 1907/1360 रकबा 4.28 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि का प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत पेश किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनियां रिपोर्ट दिनांक: 28.03.2024, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072-75 ग्राम कीरतपुरा खाता सं. नया 262 पुराना 1, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में उक्त चारागाह भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामसिंह राजावत

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उप जिला मजिस्ट्रेट
बाँदीकुई (दोसा)